भारत सरकार

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1639

मंगलवार, 10 फरवरी, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

पंजीकृत स्टार्टअप

1639. श्री वी. के. श्रीकंदनः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 2025 में सरकार के पास लगभग 44,000 स्टार्टअप पंजीकृत हुए हैं;

(ख) क्या देश में स्टार्टअप की शुरुआत के बाद से यह सबसे अधिक वार्षिक वृद्धि थी;

(ग) क्या देश में स्टार्टअप की संख्या बढ़कर 2,00,000 से अधिक हो गई है;

(घ) क्या सृजित किए गए स्टार्टअप के लिए फंड ऑफ फंड्स के माध्यम से 25,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जितिन प्रसाद)

(क) और (ख): उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) द्वारा दिनांक 19 फरवरी, 2019 की सा.का.नि. अधिसूचना 127 (अ) के तहत निर्धारित पात्रता शर्तों के अनुसार, स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत कंपनियों को 'स्टार्टअप' के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है।

वर्ष 2025 में, स्टार्टअप के रूप में कुल 49,429 कंपनियों को मान्यता प्रदान की गई, जो स्टार्टअप इंडिया पहल की शुरुआत से अब तक किसी एक वर्ष में स्टार्टअप के रूप में प्रदान की गई मान्यताओं की अधिकतम संख्या है।

(ग): 31 दिसंबर, 2025 की स्थिति के अनुसार, डीपीआईआईटी द्वारा स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत कुल 2,07,135 कंपनियों को मान्यता प्रदान की गई है।

(घ) और (ङ): स्टार्टअप हेतु निधियों के कोष (एफएफएस) को उद्यम पूंजी निवेश की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए स्थापित किया गया है। यह भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) द्वारा संचालित है, जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी)-पंजीकृत वैकल्पिक निवेश निधियों (एआईएफ) को पूंजी प्रदान करता है, जो आगे इक्विटी और इक्विटी-लिंक्ड साधनों के जरिए स्टार्टअप्स में निवेश करती हैं। 31 दिसंबर, 2025 की स्थिति के अनुसार, इस स्कीम के तहत सहायता प्राप्त एआईएफ ने 1,371 चुनिंदा स्टार्टअप में 25,547.98 करोड़ रुपए का निवेश किया है।

*****